भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 261
उत्तर देने की तारीख 03.02.2022

एमएसएमई में विपणन और तरलता का संकट

261. श्री मनोज तिवारी:
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:
श्री संजय सदाशिवराव मांडविक:
श्री सुधीर गुप्ता:
श्री बिद्युत बरन महतो:
डॉ. जी. रणजीत रेड्डी:
श्रीमती कविता मलोथू:
श्री दयाकर पसुनूरी:
डॉ. वेंकटेश नेता बोरलाकुंता:
श्री सुब्रत पाठक:
श्री प्रतापराव जाधव:
श्री रवि किशन:
श्री रविन्द्र कुशवाहा:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोविड महामारी के कारण एमएसएमई के समक्ष विपणन और तरलता की समस्या उत्पन्नहो गई है;
(ख) यदि हां, तो आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत तीन लाख करोड़ रुपये के पैकेज से इस क्षेत्र को किस हद तक मदद मिली है;
(ग) उक्त पैकेज के वितरण की राज्य-वार स्थिति क्या है;
(घ) सरकार एमएसएमई उत्पादों के विपणन को किस प्रकार सुगम बना रही है;
(ङ) क्या एमएसएमई के सारे बकाया को खत्म करने संबंधी प्रधानमंत्री के निदेशों को लागू नहीं किया गया है और अभी भी एमएसएमई क्षेत्र पर 6,900 करोड़ रुपये बकाया हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
(च) निजी क्षेत्र द्वारा एमएसएमई को देय बकाया राशि का ब्यौरा क्या है; और
(छ) एमएसएमई क्षेत्र के लिए सरकार के पास ई-मार्केट लिंकेज का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री
(श्री नारायण राणे)

(क) : कोविड -19 अवधि के दौरान लगाए गए लॉकडाउन का प्रभाव बिक्री में गिरावट, विपणन, नकदी आदि से संबंधित समस्याओं के रूप में एमएसएमई क्षेत्र सहित समग्र अर्थव्यवस्था पर पड़ा।

(ख) और (ग) : आत्मानिर्भर भारत पैकेज के तहत घोषित दो ऋण योजनाओं यथा आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) और अधीनस्थ ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएसएसडी) के तहत राज्यवार लाभार्थियों का विवरण क्रमशः अनुबंध I और अनुबंध II में दिया गया है।

(घ) : एमएसएमई मंत्रालय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को खरीद और विपणन सहायता योजना, कॉयर विकास योजना (सीवीवाई), अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए योजना, सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए सार्वजनिक खरीद नीति सहित विभिन्न पहलों के माध्यम से अपने मार्किट बेस का विस्तार करने के लिए व्यावसायिक अवसर प्रदान करता है।

(ङ) : एमएसएमई मंत्रालय ने अन्य केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों को एमएसएमई को लंबित बकाया के भुगतान के लिए पत्र लिखा है। सरकार ने राज्य और केंद्र सरकारों की सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों द्वारा एमएसएमई को देय बकाया राशि का भुगतान करने के लिए कई कदम उठाए हैं। आत्मानिर्भर भारत के तहत माननीय वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा के बाद, एमएसएमई मंत्रालय ने सीपीएसई / सरकारी विभागों / मंत्रालयों से एमएसएमई को विलंबित भुगतान को ट्रैक करने के लिए समाधान पोर्टल के भीतर एक विशेष उप-पोर्टल बनाया है। मई 2020 से 27.01.2022 तक इस सब-पोर्टल के माध्यम से 88,391.94 करोड़ रुपये की बकाया राशि का निपटारा किया गया है। व्यापार में लेन-देन एक सतत प्रक्रिया है जिसमें कुछ राशि व्यवसाय प्रक्रिया में अटकी रह सकती है। समाधान उप-पोर्टल के अनुसार, 27.01.2022 तक, भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की ओर से 1,673.84 करोड़ रुपये का भुगतान लंबित है।

(च) : समाधान पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 28.01.2022 तक, निजी क्षेत्र द्वारा एमएसई को भुगतान की जाने वाली कुल बकाया राशि 8,869.67 करोड़ रुपये है।

(छ) : सरकारी खरीदारों से खरीद की सभी जरूरतों/मांगों के लिए एक सरल ऑनलाइन एक्सेस प्रदान करने के लिए, एक ऑनलाइन पोर्टल सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) मौजूद है। यह पोर्टल एमएसएमई सहित सभी वेंडरों के लिए है। जीईएम पोर्टल पर 7 लाख से अधिक एमएसई पहले से ही पंजीकृत हैं। इसके अलावा, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) ने भी 'एमएसएमई ग्लोबल मार्ट' नाम का एक बिजनेस टू बिजनेस (बी2बी) पोर्टल तैयार किया है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने भी एमएसएमई को ई-मार्केट लिंकेज प्रदान करने के लिए दो ऑनलाइन पोर्टल www.khadiindia.gov.in और www.ekhadiindia.com विकसित किए हैं।

****

अनुबंध -I

दिनांक 03.02.2022 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 261 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-I

31 दिसंबर, 2021 तक लाभार्थियों को ईसीएलजीएस के तहत जारी गारंटियों की राज्य-वार संख्या और राशि			
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	कुल	
		जारी गारंटियों की संख्या	गारंटी की राशि (करोड़ रू. में)
1	अंडमान और निकोबार	2048	122.84
2	आंध्र प्रदेश	284623	10388.88
3	अरुणाचल प्रदेश	2296	82.28
4	असम	549765	3102.96
5	बिहार	818895	4390.99
6	चंडीगढ़	6892	1086.62
7	छत्तीसगढ	198587	4975.73
8	दादरा और नगर हवेली	2171	333.81
9	दमन और दीव	957	151.98
10	दिल्ली	102887	19380.15
11	गोवा	12410	1154.63
12	गुजरात	365537	26408.89
13	हरियाणा	200883	13639.97
14	हिमाचल प्रदेश	49063	2004.9
15	जम्मू और कश्मीर	67567	2222.72
16	झारखंड	296073	3213.74
17	कर्नाटक	872460	19510.88
18	केरल	526974	9555.65
19	लद्दाख	1029	53.52
20	लक्षद्वीप	369	1.91
21	मध्य प्रदेश	562323	9267.97
22	महाराष्ट्र	1004389	46383.7
23	मणिपुर	10385	127.32
24	मेघालय	11398	219.05
25	मिजोरम	3801	58.47
26	नागालैंड	7438	70.17
27	ओडिशा	932537	5450.65
28	पुडुचेरी	22456	511.61
29	पंजाब	208515	9182.72
30	राजस्थान	546935	14809.56
31	सिक्किम	8272	115.86
32	तमिलनाडु	869159	30983.97
33	तेलंगाना	143369	12126.86
34	त्रिपुरा	62325	271.11
35	उत्तर प्रदेश	803995	17936.77
36	उत्तराखंड	72559	2691.06
37	पश्चिम बंगाल	2015048	16540.56
कुल योग		1,16,46,390	2,88,530.46
स्रोत- वित्तीय सेवा विभाग/एनसीजीटीसी			

अनुबंध -II

दिनांक 03.02.2022 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 261 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-II

24 जनवरी, 2022 सीजीएसएसडी के तहत कुल राज्यवार गारंटी कवरेज			
क्र.सं.	**राज्य का नाम**	**अनुमोदित गारंटियों की संख्या**	**अनुमोदित गारंटियों की राशि (लाख रु. में)**
1	**अंडमान और निकोबार**	**1**	**3.50**
2	**आन्ध्र प्रदेश**	**30**	**418.25**
3	**अरुणाचल प्रदेश**	**1**	**36.00**
4	**असम**	**9**	**125.15**
5	**बिहार**	**17**	**48.43**
6	**चंडीगढ़**	**7**	**59.56**
7	**छत्तीसगढ**	**11**	**54.40**
8	**दमन और दीव**	**2**	**14.00**
9	**दिल्ली**	**21**	**339.91**
10	**गुजरात**	**24**	**241.54**
11	**हरियाणा**	**6**	**93.83**
12	**हिमाचल प्रदेश**	**18**	**150.59**
13	**जम्मू और कश्मीर**	**26**	**142.46**
14	**झारखंड**	**21**	**166.79**
15	**कर्नाटक**	**49**	**949.83**
16	**केरल**	**27**	**384.04**
17	**मध्य प्रदेश**	**42**	**366.29**
18	**महाराष्ट्र**	**79**	**995.19**
19	**मिजोरम**	**2**	**1.27**
20	**ओडिशा**	**39**	**142.39**
21	**पंजाब**	**79**	**816.78**
22	**राजस्थान**	**28**	**177.80**
23	**तमिलनाडु**	**89**	**1154.88**
24	**तेलंगाना**	**31**	**447.13**
25	**उत्तर प्रदेश**	**61**	**591.53**
26	**उत्तराखंड**	**13**	**150.13**
27	**पश्चिम बंगाल**	**25**	**205.66**
कुल		**758**	**8,277.30**
स्रोत: सीजीटीएमएसई			